जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना चांदपुर **दिनांक 11.03.2026**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 428/25 धारा 316(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.08.2025 को वादी शादान पुत्र नफीस निवासी मोहल्ला अहमद खेल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. शमशाद 2. नौशाद 3. दिलशाद पुत्रगण अंसार निवासीगण मौहल्ला शाहचन्दन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी को विदेश भेजने के नाम पर उससे 1,27,000 रुपये बैंक खाते में तथा 50,000 रुपये नकद ले लिये गये। तत्पश्चात अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ लाभ कमाने के उद्देश्य से छलकपट व धोखाधड़ी करते हुए कूटरचित दस्तावेज तैयार कर वादी के नाम से फर्जी वीजा तैयार कराया गया तथा धनराशि ठग ली गयी। वादी द्वारा अपने पैसे वापस मांगने पर अभियुक्तगण द्वारा पैसे देने से मना कर दिया गया।

इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 428/2025 धारा 316(2)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 11.03.2026 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नौशाद पुत्र अंसार निवासी मौहल्ला शाहचन्दन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नौशाद पुत्र अंसार निवासी मौहल्ला शाहचन्दन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिह थाना चांदपुर बिजनौर।

2.हे0का0 125 रतन सिंह थाना चांदपुर बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना कोतवाली शहर **दिनांक- 11.03.2026**

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

घटना एंव कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.03.2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X) के माध्यम से एक पोस्ट संज्ञान में आई, जिसमें कुछ व्यक्ति, एक युवक के साथ कही-सुनी करते हुए दिखाई दे रहे थे।

उक्त पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा जांच की गई। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 08.03.2026 को भारत-न्यूजीलैंड के मध्य खेले गए फाइनल मैच को लेकर 1.कुशाग्र पुत्र प्रशांत कुमार 2.देवांश पुरोहित पुत्र दिवाकर शर्मा निवासीगण मौ0 सोतियान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 3.सत्यम भटनागर पुत्र मनोज भटनागर निवासी मौ0 चाहशीरी बी-21 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर की एक युवक के साथ कहासुनी हो गयी थी।

प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण कुशाग्र,देवांश व सत्यम उपरोक्त को गिरफ्तार कर धारा 170/126 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की गयी। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.कुशाग्र पुत्र प्रशांत कुमार निवासी मौ0 सोतियान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2.देवांश पुरोहित पुत्र दिवाकर शर्मा निवासी मौ0 सोतियान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3.सत्यम भटनागर पुत्र मनोज भटनागर निवासी मौ0 चाहशीरी बी-21 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 ब्राइट फ्लावर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2.का0 109 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना स्योहारा **दिनाँक 11.03.2026**

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 75/2026 धारा 115(2)/109(1) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.03.2026 को वादिनी द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1.अशुं पुत्र महीपाल सिंह, 2.पुष्पेन्द्र पुत्र महीपाल सिंह, 3. महीपाल सिंह पुत्र कल्लू सिंह निवासीगण ग्राम पौटा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी के पति रुप सिंह पर लाठी-डण्डों व लकड़ी काटने वाली आरी से जान से मारने की नियत से वार किया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 75/2026 धारा 115(2)/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कृत कार्यवाही-

आज दिनांक 11.03.2026 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. अंशु पुत्र महीपाल सिंह, 2. महीपाल सिंह पुत्र कल्लू सिंह निवासीगण ग्राम पौटा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त 03 डंडो सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1.अंशु पुत्र महीपाल सिंह निवासी ग्राम पौटा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

2.महीपाल सिंह पुत्र कल्लू सिंह निवासी ग्राम पौटा थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 03 डंडे।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री उमेश चन्द थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

2.का0 2508 राहुल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

3.का0 2135 अमित भाटी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- जनपद बिजनौर **दिनांक 11.03.2026**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से वादी की पुत्री के साथ गलत कार्य करने के आरोपी अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष कारावास और कुल 12,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

कार्यवाही:–

दिनांक 08.10.2022 को वादी ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि अभियुक्त सुखपाल सिंह उर्फ जोनी पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर केशो थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 718/2022 धारा 323/376/504 भादवि व धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 11.03.2026 को माननीय न्यायालय स्पेशल पॉक्सो, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 718/2022 धारा 323/376/504 भादवि व धारा 4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त सुखपाल सिंह उर्फ जोनी पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर केशो थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 10 वर्ष कारावास व कुल 12,000/- हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.सुखपाल सिंह उर्फ जोनी पुत्र बलराम सिंह निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर केशो थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना धामपुर **दिनांक- 11.03.2026**

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 574/2024 धारा 69 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.12.2024 को वादिनी द्वारा थाना धामपुर पर तहरीर दी थी कि अभियुक्त राजन पुत्र लेखराज निवासी ग्राम भवानीपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत कार्य किया गया है।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 574/2024 धारा 69 बीएनएस अधि0 बनाम राजन उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

आज दिनांक 11.03.2026 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त राजन पुत्र लेखराज निवासी ग्राम भवानीपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजन पुत्र लेखराज निवासी ग्राम भवानीपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण ----

1.उ0नि0 अश्वनी डिम्हा थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2.का0 2147 अंकित थाना धामपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ   दिनांक- 11.03.2026

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिंनाक 11.03.2026 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त वचन सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी ग्राम भोगपुरखदरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 48/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

वचन सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी ग्राम भोगपुरखदरी थाना बढापुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. का0 2159 आकाश थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
2. का0 2134 नितिन थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर